

भाग 4

प्रस्ताव सं०:- FP/UP/Others/ 33389/2018

(नोडल अधिकारी अथवा प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिश ।	Recommended for approval
	(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)	

दिनांक : 14/5/18

स्थान : Lucknow

हस्ताक्षर.....

नाम व पद.....

(सरकारी मुहर)

डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ